प्रेस विज्ञप्ति

03/03/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 26.02.2026 को बहरामपुर, ओडिशा स्थित सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की एक भू-खंड की बिक्री से जुड़े मामले में अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), बल्लारी (कर्नाटक), भुवनेश्वर एवं बहरामपुर (ओडिशा) स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित की है। यह तलाशी कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17(1) के अंतर्गत, **हमारा इंडिया एवं अन्य** के मामले में चल रही जांच के संबंध में की गई।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। तलाशी के दौरान यह उजागर हुआ कि बहरामपुर की (कुल 43 एकड़ भूमि में से) लगभग 32 एकड़ भूमि को निरस्त किए गए बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर एक सहारा कर्मचारी के पक्ष में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 2025 में कपटपूर्ण तरीके से विक्रय किया गया। यह भी पाया गया कि उक्त विक्रय सहारा समूह के वरिष्ठ प्रबंधन के निर्देश पर किया गया। घोषित विक्रय प्रतिफल एवं अनुमानित बाजार मूल्य के बीच विसंगतियां पाई गई हैं।

व्हाट्सऐप संचार, संपर्क विवरण एवं कॉल अभिलेख जैसे डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। साथ ही, संबंधित संस्थाओं के वित्तीय अभिलेख एवं लेखा-बही तथा अन्य अपराध संकेती दस्तावेज विस्तृत परीक्षण हेतु जब्त किए गए।

पूर्व में, प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 एवं 120बी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध 500 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से अधिक मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम के अधीन अनुसूचित अपराध सम्मिलित हैं, जिनमें जमाकर्ताओं से जबरन पुनर्निवेश कराना तथा परिपक्वता राशि का भुगतान न करने के माध्यम से व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी किए जाने के आरोप हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह उजागर हुआ कि सहारा समूह पोंजी योजना संचालित कर रहा था। एकत्रित निधियों का प्रबंधन जमाकर्ताओं की किसी प्रकार की निगरानी के बिना अनियमित ढंग से किया जा रहा था, परिपक्वता राशि का भुगतान करने के स्थान पर उसे पुनर्निवेशित किया जाता था तथा ऐसे गैर-भुगतानों को छिपाने के उद्देश्य से लेखा-बही में हेरफेर किया गया। समूह के भीतर विभिन्न आंतरिक लेनदेन से यह परिलक्षित होता है कि भारी देनदारियों को बिना किसी वाणिज्यिक औचित्य के एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया गया। अंततः चार सहकारी समितियों में बड़ी देनदारियां प्रदर्शित की गई हैं। वित्तीय अक्षमता के बावजूद समूह द्वारा नवीन जमाएं निरंतर स्वीकार की जाती रहीं। जमाकर्ताओं की परिपक्वता जमा राशियों के निरंतर गैर-भुगतान के कारण, बकाया देनदारी, जिसमें भारी ब्याज घटक सम्मिलित है, वर्षों के दौरान जमाकर्ताओं से मूल रूप से एकत्रित मूलधन की तुलना में असंगत रूप से अत्यधिक बढ़ गई है। यह भी उजागर हुआ है कि बेनामी परिसंपत्तियों के सृजन, ऋण विस्तारण तथा व्यक्तिगत उपयोग हेतु बड़ी मात्रा में जमा निधियों का दुरुपयोग किया गया, जिससे जमाकर्ताओं को उनके वैध देयकों से वंचित किया गया।

इस मामले में सहारा समूह की विभिन्न भूमि खंडों, जिनमें बेनामी भूमि एवं अन्य व्यक्तियों की परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं, को कुर्क करते हुए पांच अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं। आगे, इस मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा गिरफ्तार व्यक्तियों अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम एवं ओ. पी. श्रीवास्तव वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। पूर्व में एक अभियोजन शिकायत एवं अनुपूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की जा चुकी है।

आगे की जांच जारी है।